मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XVI | अंक 3 | सितंबर 2020

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	विनियमन	1
II.	पर्यवेक्षण	2
III.	मौद्रिक नीति	3
IV.	वित्तीय समावेशन	3
V.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
VI.	जारी आंकड़े	3
VII.	अनुसंधान	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिकृया का mcirrbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

COVID 19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 07 सितंबर 2020 को ऋण देने वाले सभी संस्थानों को संकल्प फ्रेमवर्क के तहत पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में संकल्प योजनाओं को अंतिम रूप देते हुए अनिवार्य रूप से निम्नलिखित मुख्य अनुपात पर विचार करने हेतु सूचित किया:

	मुख्य अनुपात	परिभाषा
1	कुल बाहरी देयताएं / समायोजित मूर्त निवल मूल्य (टीओएल/ एटीएनडबल्यू)	समूह और बाहरी संस्थाओं में निवल निवेश और ऋणों के मूर्त निवल मूल्य के द्वारा विभाजित आस्थगित कर देयता के साथ दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण, वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के जोड़
2	कुल कर्ज/ ईबीआईटीडीए	मूल्यह्रास और परिशोधन के साथ कर, ब्याज और वित्त शुल्क जोड़ने से पहले लाभ द्वारा विभाजित अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण के जोड़
3	वर्तमान अनुपात	वर्तमान देयताओं से विभाजित वर्तमान आस्ति
4	कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर)	ब्याज और वित्त शुल्क के साथ दीर्घकालिक ऋण के वर्तमान हिस्से की जोड़ से विभाजित संबंधित वर्ष के लिए ब्याज और वित्त शुल्क के साथ शुद्ध नकदी उपार्जन के जोड़
5	औसत कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात (एडीएससीआर)	ब्याज और वित्त शुल्क के साथ दीर्घकालिक ऋण के उक्त ऋण अवधि के जोड़ द्वारा विभाजित उक्त ऋण अवधि के दौरान ब्याज और वित्त शुल्क के साथ शुद्ध नकद उपार्जन का जोड़

संकल्प ढांचे ने ऐसे मानकों के लिए क्षेत्र (सेक्टर)-विशिष्ट बेंचमार्क श्रेणियों के साथ आवश्यक वित्तीय मापदंडों पर सिफ़ारिश देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेषज्ञ समिति के गठन की परिकल्पना की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 सितंबर 2020 को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की, जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। तदनुसार, 6 अगस्त 2020 को घोषित समाधान ढांचा दिशानिर्देशों पर 7 सितंबर 2020 को अनुवर्ती परिपत्र जारी किया गया जिसमें समाधान योजनाओं को अंतिम रूप देते समय पांच विशिष्ट वित्तीय अनुपात और 26 विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक अनुपात के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सीमा निर्दिष्ट की गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारित

रिज़र्व बैंक ने 01 सितंबर 2020 को बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के तहत 1 सितंबर 2020 या उसके बाद अर्जित एसएलआर प्रतिभूतियों को 31 मार्च 2021 तक एनडीटीएल के 22 प्रतिशत तक की कुल सीमा तक धारित करने की अनुमति दी है, जिसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि यह अतिरिक्त निवेश केवल एसएलआर प्रतिभूतियों में हो और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां एनडीटीएल के 19.5 प्रतिशत से अधिक न हो। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

मसौदा घट-बढ़ मार्जिन निदेश, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों, बाज़ार सहभागियों और अन्य इच्छुक दलों से मसौदा निदेश पर टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 7 सितंबर 2020 को मसौदा घट-बढ़ मार्जिन निदेश, 2020 जारी किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी 2020 को विनियामक और विकासात्मक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की कि रिज़र्व बैंक जी-20 सिफारिशों का पालन करते हुए और ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव, जिसे केंद्रीय रूप से समाशोधित नहीं किया गया है, के निपटान की सुरक्षा में सुधार करने के लिए गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडीएस) के लिए घट-बढ़ मार्जिन के विनिमय संबंधी निदेश जारी करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

II. पर्यवेक्षण

बैंकों में अनुपालन कार्य

रिज़र्व बैंक ने 11 सितंबर 2020 को बैंकों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए और साथ ही साथ मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) से पर्यवेक्षी अपेक्षाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को सूचित किया:

i) नीति

एक बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति को लागू करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से इसके अनुपालन के सिद्धांत, शीर्ष से कवर करने वाले अनुपालन संस्कृति (कल्चर) अपेक्षाएं, जवाबदेही, प्रोत्साहन संरचना और प्रभावी संचार और इसके अनुपालन की चुनौतियां, संरचना और अनुपालन कार्य की भूमिका, सीसीओ की भूमिका, संपूर्ण बैंक में अनुपालन जोखिम पर पहचान, आकलन, निगरानी, प्रबंधन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को व्याख्यायित कर रही है।

ii) सीसीओ की नियुक्ति के लिए अवधि

सीसीओ न्यूनतम 3 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा।

iii) सीसीओ का स्थानांतरण / निष्कासन

केवल असाधारण परिस्थितियों में कार्यकाल पूरा होने से पहले सीसीओ को स्थानांतरित / हटाया जा सकता है।

iv) सीसीओ की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड

सीसीओ बैंक का 55 वर्ष से कम आयु का,बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं का कम से कम 15 वर्षों का समग्र अनुभव वाला, उद्योग और जोखिम प्रबंधन की अच्छी समझ वाला, विनियमों, विधिक ढांचों का ज्ञान और पर्यवेक्षकों की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता वाला एक वरिष्ठ कार्यकारी होगा;

v) चयन प्रक्रिया

सीसीओ के पद के लिए उम्मीदवार का चयन एक अच्छी तरह से परिभाषित चयन प्रक्रिया के आधार पर और इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा गठित वरिष्ठ कार्यकारी स्तर की चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

vi) रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

पर्यवेक्षण विभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक,केंद्रीय कार्यालय,मुंबई को सीसीओ की नियुक्ति,समय से पहले स्थानांतरण / हटाने से पहले एक पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी।

vii) रिपोर्टिंग लाइन

सीसीओ के पास बैंक के एमडी और सीईओ और / या बोर्ड / बोर्ड समिति (एसीबी) तक की सीधी रिपोर्टिंग लाइनें होंगी।

viii) प्राधिकारी

सीसीओ और अनुपालन कार्य के पास किसी भी स्टाफ सदस्य के साथ संवाद करने का और सभी रिकॉर्ड्स या फ़ाइलें, जो अनुपालन मुद्दों के संबंध में उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं,तक पहुंचने का अधिकार होगा।

ix) अनुपालन कार्य के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

विनियमों, नियमों और मानकों और किसी भी आगे के घटनाक्रम पर बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को सूचित करना, अनुपालन से संबंधित किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्रदान करना, अनुपालन जोखिम का आकलन करना (वर्ष में कम से कम एक बार) और अनुपालन मूल्यांकन के लिए जोखिम-उन्मुख गतिविधि योजना विकसित करना गतिविधि योजना को अनुमोदन के लिए एसीबी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

x) आंतरिक लेखापरीक्षा

अनुपालन कार्य आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन होगा।

दिशानिर्देशों में दोहरी रुकावट,समितियों की सदस्यता और सीसीओ के जनादेश के मूल तत्वों से संबंधित अन्य दिशानिर्देश भी शामिल थे। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 05 सितंबर 2020 को वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, विशेषीकृत शाखाओं और शाखा लेखा परीक्षकों के लिए बड़े / अनियमित / महत्वपूर्ण खातों के लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) के प्रारूप को संशोधित किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद की अवधि के लिए संशोधित एलएफ़एआर स्वरूपों को परिचालित करने की आवश्यकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रिया

रिज़र्व बैंक ने 14 सितंबर 2020 को बैंकों को स्वचालित परिसंपत्ति वर्गीकरण (एनपीए / एनपीआई के रूप में अग्रिमों / निवेशों का वर्गीकरण और उनका अद्यतन), प्रावधानीकरण गणना और आय निर्धारण प्रक्रियाओं की पूर्णता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने सिस्टम को तैयार करने/ अपग्रेड करने हेतु सूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

यूसीबी की साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ''शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन' – 2020-2023'' रखा। प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा अवस्था को उभरते आईटी और साइबर खतरे के माहौल के विरूद्ध विकसित करना है। यूसीबी के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़ को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर औपचारिक रूप दिया गया है। यह पांच-स्तंभ वाले कार्यनीति दृष्टिकोण जीयूएआरडी अर्थात, शासन प्रणाली प्रबंध, उपयोगी तकनीकी निवेश, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और विकासशील आवश्यक आईटी, साइबर सुरक्षा कौशल सेट के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

III. मौद्रिक नीति

एमएसएफ की छूट की अवधि बढ़ाया जाना

रिज़र्व बैंक ने 28 सितंबर 2020 को सहभागी बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में छूट देते हुए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत धनराशि का लाभ उठाने की अनुमति को आगे छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2021 तक जारी रखने का निर्णय किया है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

अर्थोपाय अग्रिम सीमा में छूट का विस्तार

रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2020 को राज्यों /संघशासित क्षेत्रों की डब्ल्यूएमए सीमा में 31 मार्च 2020 तक के स्तर से 60% से अधिक की वृद्धि प्रदान करने का निर्णय किया है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

IV. वित्तीय समावेशन

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर एमडी

रिज़र्व बैंक ने 04 सितंबर 2020 को श्री यू.के.सिन्हा की अध्यक्षता में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की विशेषज्ञ समिति' और श्री एम.के.जैन की अध्यक्षता में 'कृषि की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्यकारी दल' की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र को उधार (पीएसएल) दिशानिर्देशों की समीक्षा की। इसका उद्देश्य उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ सरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करना था, जिसे सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था।

संशोधित पीएसएल दिशानिर्देशों की कतिपय मुख्य विशेषताएं हैं:

i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना;
ii) छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है;
iii) किसानों/ उत्पादकों/ संगठनों /कंपनियों के लिए उच्च ऋण सीमा;
iv) नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा बढ़ा दी गई है;
v) स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (आयुष्मान भारत सहित) के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

V. भुगतान और निपटान प्रणाली

सीटीएस के लिए पोजेटिव पे सिस्टम

रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2020 को बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, एटीएम के साथ-साथ उनकी वेब-साइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोजेटिव पे सिस्टम के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करना सूचित किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में पोजेटिव पे की सुविधा विकसित करेगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा। बदले में, बैंक सभी खाताधारकों के लिए ₹ 50,000 और इससे अधिक की राशि के चेक जारी करने में सक्षम बनाएगा । पोजेटिव पे सिस्टम 01 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VI. जारी आंकड़े

भारत केएलईएमएस डेटाबेस

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 सितंबर 2020 को अपनी वेबसाइट पर ''उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापना - भारत केएलईएमएस डेटाबेस'' - डेटा मैनुअल 2019 के साथ 1980-81 से 2017-2018 की अवधि को कवर करने वाले 27 उद्योगों के लिए उत्पादकता पर समय-श्रृंखला डेटा का अपडेट रखा, जिसे भारत केएलईएमएस पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाओं (एस) अनुसंधान परियोजना के तहत तैयार किया गया। डेटाबेस रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग-अलग उद्योग स्तर पर उत्पादकता प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए समर्थित एक शोध परियोजना का हिस्सा है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20 संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका

रिज़र्व बैंक ने 18 सितंबर 2020 को ''भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20 संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका (एचबीएस)'' शीर्षक से अपना वार्षिक प्रकाशन जारी किया। यह प्रकाशन, श्रृंखला में 22वां, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर समय श्रृंखला डाटा प्रसारित करता है। वर्तमान अंक में 240 सांख्यिकीय तालिकाएँ शामिल हैं, जो राष्ट्रीय आय समुच्चय, उत्पादन, मूल्य, धन, बैंकिंग, वित्तीय बाज़ारों, सार्वजनिक वित्त, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन तथा चयनित सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को कवर करता है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

माह सितंबर 2020 में रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए:

	जारी आंकड़े
1	बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन- अगस्त -2020
2	भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), जून 2020
3	जून 2020 के अंत में भारत का बाहरी ऋण
4	अप्रैल-जून 2020 के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में विभिन्नता के स्रोत
5	2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में गतिविधियां

VII. अनुसंधान

वर्किंग पेपर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने माह सितंबर 2020 में अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला के तहत 3 वर्किंग पेपर प्रकाशित किए।

पहला वर्किंग पेपर जिसका शीर्षक भारत में वित्तीय दबाव का मापन है, जिसका लेखन मंजूषा सेनापति और राजेश कावेड़िया ने किया है। जो बाजार आधारित संकेतकों और तीन अलग-अलग समुच्चयन पद्धतियों का उपयोग करके भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए वित्तीय दबाव सूचकांकों के निर्माण पर केंद्रित है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

दूसरा वर्किंग पेपर जिसका शीर्षक क्या खाद्य मूल्य वास्तव में लचीले हैं? भारत से साक्ष्य है, जिसका लेखन जी.वी नाधानेल द्वारा किया गया है, जो भारत में खाद्य क्षेत्र में मूल्य निर्धारण गतिविधि को एक नवीन सूक्ष्म स्तर डेटासेट का उपयोग करते हुए देखता है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

तीसरा वर्किंग पेपर जिसका शीर्षक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान संयोजन - भारतीय अनुभव है, जिसका लेखन जायस जॉन, संजय सिंह और मूनीष कपूर द्वारा किया गया है। यह पेपर भारतीय संदर्भ में अलग-अलग संयोजन दृष्टिकोणों के विस्तृत प्रदर्शन का पूर्वानुमान करता है, जो विभिन्न मॉडलिंग फ्रेमवर्क से उत्पन्न पूर्वानुमानों की एक विस्तृत श्रृंखला और बेंचमार्क रैंडम वॉक मॉडल के सापेक्ष होता है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना

रिज़र्व बैंक ने 09 सितंबर 2020 को हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से 'आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना' शुरू की। भारतीय विश्वविद्यालयों (यूजीसी मान्यता प्राप्त) के कार्यरत/सेवानिवृत्त प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 के तीन पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई ने जन जागरूकता के लिए
एबी को जोड़ा

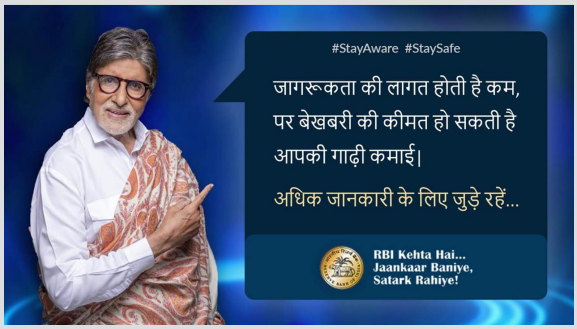

श्री अमिताभ बच्चन को आरबीआई के जन जागरूकता कैंपेन के ब्रांड एंबेसडर के रूप में जोड़ा गया है।

श्री बच्चन के साथ, अप्रैल 2020 में ट्विटर और फेसबुक पर आरबीआई के सोशल मीडिया हैंडल 'आरबीआई कहता है' में सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लाभों और सुविधा की व्याख्या करते हुए एक क्रिएटिव 14 भाषाओं में जारी किया गया ।

28 सितंबर 2020 से डिजिटल बैंकिंग की सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों और भिन्न प्रकार से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, साइबर सुरक्षा और कार्ड पर सीमाएं लागू करना जैसी थीम पर क्रिएटिव दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है।कैंपेन को और गति देने, और इसके सुदृढ़ीकरण प्रभाव के लिए, एक सोशल मीडिया कैंपन, आरबीआई के सोशल मीडिया हैंडल पर 29 सितंबर 2020 को जारी किया गया है जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जनता से संबंधित विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर संदेश दे रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिए ट्विटर पर RBIsays (https://twitter.com/rbisays) और रिज़र्व बैंक का फेसबुक पेज (https://www.facebook.com/RBIsays) देखें।

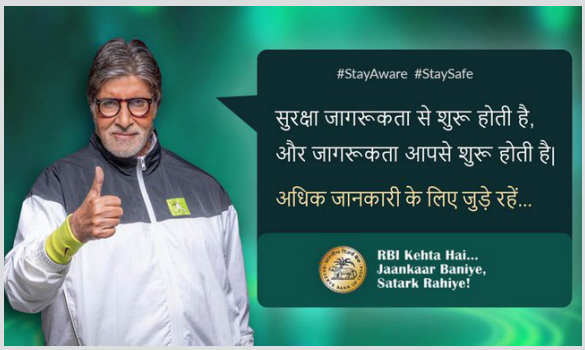

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।